

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेटर नोएडा नगरीय क्षेत्र में जल मूल्य की दरें निम्न अनुसार निर्धारित हैं।

1. भवन भूखण्ड क्षेत्रफल के अनुसार देय शुल्क।

क्र०सं०	भूखण्ड क्षेत्रफल/प्लॉट क्षेत्र वर्ग मी०	न्यूनतम शुल्क प्रतिमाह रूपये
1	60 वर्ग मीटर तक	30.00
2	61 वर्ग मीटर से 120 वर्ग मीटर तक	50.00
3	121 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक	90.00
4	201 वर्ग मीटर से 350 वर्ग मीटर तक	150.00
5	351 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक	200.00
6	501 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक	300.00
7	एक हजार वर्ग मीटर से अधिक होने पर वाटर मीटर द्वारा रूपये 5.00 प्रति किलोलीटर की शुल्क दर होगी।	

2. ग्रेटर नोएडा नगरीय क्षेत्र में संस्थागत, औद्योगिक एवं व्यावसायिक भूखण्डों एवं ग्रुप हाउसिंग के आवंटियों को जल सूविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टीगत जल मूल्य लिये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु निम्नानुसार दरें निर्धारित की गयी हैं जो दिनांक 01.05.2005 से लागू मानी जायेगी।

संस्थागत, औद्योगिक एवं व्यावसायिक भूखण्डों द्वारा देय न्यूनतम अग्रिम देय Water charges का निर्धारण

क्र०सं०	भूखण्ड क्षेत्रफल/प्लॉट क्षेत्र वर्ग मी०	न्यूनतम शुल्क प्रतिमाह रूपये
1	1000 वर्गमीटर तक	150.00
2	1001 वर्गमीटर से 2000 वर्गमीटर तक	300.00
3	2001 वर्गमीटर से 3000 वर्गमीटर तक	450.00
4	3001 वर्गमीटर से 4000 वर्गमीटर तक	600.00
5	4001 वर्गमीटर से 5000 वर्गमीटर तक	750.00
6	5001 वर्गमीटर से 6000 वर्गमीटर तक	900.00
7	6001 वर्गमीटर से 7000 वर्गमीटर तक	1050.00
8	7001 वर्गमीटर से 8000 वर्गमीटर तक	1200.00
9	8001 वर्गमीटर से 9000 वर्गमीटर तक	1350.00
10	9001 वर्गमीटर से 10000 वर्गमीटर तक	1500.00
11	10001 वर्ग मीटर से 5 एकड़ तक	2500.00
12	5 एकड़ से 15 एकड़ तक	5000.00
13	15 एकड़ से 25 एकड़ तक	7500.00
14	25 एकड़ से 50 एकड़ तक	10000.00
15	50 एकड़ से अधिक	12500.00

Group Housing के आवंटियों द्वारा देय Water charges का निर्धारण

SL.NO.	Group Housing plot area	Amount (per month in RS.)
1	Up to 5000 Sqm.	4500.00
2	5000-7500 Sqm.	5580.00
3	7500 - 10000 Sqm.	7920.00
4	10000 - 15000 Sqm.	11250.00
5	15000 - 25000 Sqm.	18000.00
6	25000 Sq. -10 acre	29250.00
7	10 acre - 25 acre	63000.00
8	25 acre 50 acre	135000.00
9	50 acre and above	225000.00

अतः उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार 01.05.2005 अथवा भवन की कम्प्लीशन तिथि (जो भी बाद में हो) से अब तक का जल शुल्क पंजाब नेशनल बैंक, नियर गेट नं०-05 अल्फा-II, केनरा बैंक, इंडियन बैंक जगत फार्म गामा-I तथा कारपोरेशन बैंक गामा-I शॉपिंग मॉल में दिनांक 31.03.2011 तक जमा कराने का कष्ट करें अन्यथा प्राधिकरण द्वारा कनेक्शन विच्छेदन किया जाएगा तथा जल शुल्क वसूली की कार्यवाही की जाएगी। उक्त सूचना एवं बैंको के चालान फार्म आप ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट www.greaternoidaauthority.in पर प्राप्त किये जा सकते हैं।

महा प्रबन्धक (अर्बन सर्विस)